संख्या-04/2023/136/उन्नीस-2-2023-22/2013

प्रेषक,

संजय प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव,**
उत्तर प्रदेश शासन।
2. **पुलिस महानिदेशक,**
उत्तर प्रदेश।
3. **समस्त मण्डलायुक्त / समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
4. **महानिदेशक पर्यटन,**
उत्तर प्रदेश।
5. **आयुक्त राज्य कर,**
उत्तर प्रदेश।
6. **निदेशक/सदस्य सचिव (फि0ब0),**
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

सूचना अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक 09 मार्च, 2023

विषय- उत्तर प्रदेश फिल्म नीति-2023 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। प्रदेश में फिल्म निर्माण हेतु सुसंगठित ढांचा एवं उपयुक्त वातावरण सृजित करने हेतु फिल्म नीति में कुछ संशोधन किया जाना आवश्यक है, जिससे प्रदेश में फिल्म निर्माण हेतु अवस्थापना विकास, शूटिंग स्थलों का निर्माण, फिल्मों की शूटिंग, रोजगार के साधन सृजित करना, क्षेत्रीय कलाकारों को एवं क्षेत्रीय फिल्मों को बढ़ावा देना तथा पर्यटन के विकास को और गति प्रदान की जा सके। प्रदेश के विशाल भू-भाग में फिल्म निर्माण की विपुल सांस्कृतिक धरोहर मौजूद हैं, जो प्रदेश के गौरवशाली इतिहास, इसकी वैभवपूर्ण वास्तुकला तथा स्थानीय संस्कृतियों की विविधता आदि सभी फिल्म निर्माण के लिए आवश्यक तत्व उपलब्ध कराते हैं। फिल्म उद्योग के समग्र विकास हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नोएडा में 1000 एकड़ भूमि पर अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण किया जा रहा है। यद्यपि उत्तर प्रदेश फिल्म नीति-2001, संशोधित फिल्म नीति-2014 एवं संशोधित उत्तर प्रदेश फिल्म नीति-2018 में जारी की गयी, तथापि वर्तमान परिदृश्य में फिल्म निर्माण के लिये उपयुक्त वातावरण सृजित करने, विभिन्न आवश्यक संसाधनों का

शूटिंग के उद्देश्य से समग्र विकास किये जाने हेतु पूर्व में निर्गत फिल्म नीतियों को अवक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश फिल्म नीति-2023 लागू की जा रही है, जो निम्नवत है:-

01- संक्षिप्त नाम एवं आरम्भ:-

(1) यह नीति उत्तर प्रदेश फिल्म नीति-2023 होगी।

(2) यह नीति आदेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

2- प्रस्तावना

वर्तमान समय में सिनेमा भारतवर्ष में सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन के एक सशक्त माध्यम के रूप में उभकर सामने आया है। मनोरंजन-उद्योग होने के नाते इसने देश के लोगों के सामाजिक व्यवहार को प्रभावित किया है तथा जन संस्कृति के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायी है। आज सिनेमा एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि का रूप धारण कर चुका है। विगत वर्षों के दौरान फिल्मों के माध्यम से बड़ी संख्या में दर्शकों को मनोहारी दृश्यों तथा संस्कृति से अवगत कराकर, इस सशक्त माध्यम ने पर्यटन को प्रोत्साहित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है।

उत्तर प्रदेश धार्मिक और आध्यात्मिक, ऐतिहासिक व सांस्कृतिक धरोहर से समृद्ध, प्राकृतिक सम्पदा से परिपूर्ण पर्यटन की दृष्टि से असीम सम्भावनाओं वाला प्रदेश है। उत्तर प्रदेश फिल्म नीति-2023 के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक फिल्म निर्माताओं द्वारा यदि प्रदेश के इन महत्वपूर्ण ज्ञात व अल्पज्ञात प्राकृतिक सुरम्य स्थलों, ऐतिहासिक स्मारकों, किलों, महलों, विकसित अवस्थापना सुविधाओं युक्त गॉवों तथा नगरों आदि में कम से कम 10 प्रतिशत शूटिंग की जाय, तो पर्यटन स्थलों के प्रचार-प्रसार के अलावा प्रदेश के वर्तमान विकास की सकारात्मक छवि प्रस्तुत की जा सकेगी।

उत्तर प्रदेश में फिल्म शूटिंग करने एवं अनुदान प्राप्त करने के इच्छुक फिल्म निर्माताओं को उ0प्र0 की संस्कृति के सकारात्मक पक्षों एवं पहलुओं को उचित दृष्टि से प्रस्तुत करना होगा। उ0प्र0 की संस्कृति अत्यन्त समृद्धशाली है। यहॉ की परम्पराओं जैसे खान-पान, परिधान, नृत्य, लोकगीत, वाद्ययंत्र, संगीत, लोककलाएं, ललित कलाए, शास्त्रीय कलाओं आदि की विशिष्ट प्राचीन स्थापित परम्पराएं रहीं है, जिसे पर्दे के माध्यम से विश्व पटल पर लाने का कार्य किया जाना श्रेयस्कर होगा।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा फिल्मों को उद्योग का दर्जा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। वर्तमान सदी में फिल्म मनोरंजन ही नहीं बल्कि रोजगार, सामाजिक चेतना व संस्कृति के विकास के लिए और भी ज्यादा सशक्त माध्यम है। इस नीति में राज्य में निर्मित एवं प्रदर्शित होने वाली फिल्मों को राज्य कर में छूट, अनुदान, फिल्म पुरस्कार / सम्मान, क्षेत्रीय भाषाओं में बनने वाली फिल्मों को प्रोत्साहन हेतु एकल खिड़की व्यवस्था (सिंगल विण्डो सिस्टम) लागू किया गया है।

3- उद्देश्य

(1) उत्तर प्रदेश में नये शूटिंग स्थलों का सुनियोजित विकास तथा फिल्म सिटी की स्थापना करते हुए राज्य को फिल्म निर्माण के लिए महत्वपूर्ण केन्द्र के रूप में विकसित करना।

(2) फिल्म निर्माण एवं प्रदर्शन के क्षेत्र में आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं को विभिन्न वित्तीय संस्थानों एवं निजी निवेश के माध्यम से विकसित करना।

(3) प्रदेश के अदभुत, मनोहारी तथा रमणीय पर्यटन स्थलों के विषय में जानकारी देना एवं पर्यटकों को आकर्षित करते हुए क्षेत्रीय फिल्मों के निर्माण को प्रोत्साहित करना।

(4) प्रदेश में अभिनय व फिल्म निर्माण की प्रतिभाओं को विकास के अवसर प्रदान करना।

(5) स्थानीय युवाओं को फिल्म निर्माण एवं प्रदर्शन के क्षेत्र में सम्यक व्यवस्था करते हुए रोजगार सृजन के अवसर उपलब्ध कराना।

(6) फिल्म के माध्यम से प्रदेश में पर्यटन, सांस्कृतिक विरासंत एवं पुरातात्विक धरोहर आदि के महत्व को बढ़ाने के साथ-साथ इनका प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करना।

4- रणनीति

(1) 'उ0प्र0 फिल्म बन्धु' का गठन एवं 'उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद' की स्थापना की गयी है।

(2) फिल्म शूटिंग हेतु अनुमति प्रक्रिया को सिंगल विण्डो सिस्टम के माध्यम से सुगम बनाना।

(3) फिल्म निर्माण, प्रदर्शन एवं प्रक्रिया में अवस्थापना सुविधाओं, प्रशिक्षण आदि के सम्यक विकास हेतु संस्थागत व्यवस्थाएँ करना।

(4) विभिन्न वित्तीय संस्थानों/निजी पूँजी निवेशकों से फिल्म निर्माण के क्षेत्र में वित्तीय सहयोग प्राप्त करना।

(5) फिल्म उद्योग के माध्यम से अतिरिक्त पूँजी निवेश आकर्षित करना।

(6) ऐसे सभी गैर सरकारी/ संस्थाओं/ संगठनों, जो फिल्मों के निर्माण, प्रदर्शन एवं विकास में योगदान दे, उनसे प्रभावी समन्वय करना एवं उन्हें प्रोत्साहित करना।

(7) वित्तीय प्रोहत्साहनों का आकर्षक पैकेज।

(8) सम्पूर्ण एवं सक्रिय प्रशासनिक सहयोग प्रदान करना।

(9) श्रेष्ठ एवं राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक अवस्थापना के सृजन में सहयोग देना।

(10) विद्यमान अवस्थापना का जीर्णोद्धार तथा नवीनीकरण एवं उच्चीकरण।

(11) अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध कराना।

5- परिभाषाएं

(1) फिल्मों की परिभाषा वही होगी, जो भारतीय सिनेमेटोग्राफी अधिनियम मे दी गयी है।

(2) 'परिषद' से तात्पर्य 'उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद' है।

(3) निधि से तात्पर्य 'उत्तर प्रदेश फिल्म विकास निधि' है।

(4) सरकार/शासन से तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार/शासन है।

6- **फिल्म व्यवसाय की अवस्थापना**

(1) फिल्मों के लिए एक विशिष्ट प्रकार की अवस्थापना की आवश्यकता होती है। राज्य सरकार द्वारा निजी तथा संयुक्त क्षेत्र में इस प्रकार की अवस्थापना के सृजन को बढ़ावा दिया जायेगा। निजी क्षेत्र में इस प्रकार की अवस्थापना के उपलब्ध होने तक राज्य सरकार यथासम्भव विद्यमान कमियों को अपने प्रयासों से दूर करने का प्रयत्न करेगी।

(2) फिल्मों के विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना को सामान्य तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है:-

(क) शूटिंग स्थलों का विकास तथा फिल्म निर्माण हेतु अवस्थापना।

(ख) फिल्म प्रदर्शन के लिए अवस्थापना।

(ग) स्टूडियोज/लैब्स/उपकरण।

(घ) कलाकारों, तकनीशियनों तथा विशिष्ट क्षेत्रों में विशेषज्ञता की प्रशिक्षण सुविधाएं।

7- शूटिंग / फिल्म निर्माण हेतु अवस्थापना

(1) उत्तर प्रदेश सरकार नोएडा में 1000 एकड़ भूमि पर आधुनिक फिल्म सिटी का निर्माण कार्य करा रही है। नोएडा के साथ-साथ, फिल्म शूटिंग के लिए उपयुक्त अन्य स्थानों पर फिल्म निर्माण सुविधाओं के विकास का प्रयास किया जायेगा, ताकि प्रदेश फिल्म निर्माण के केंद्र बिंदु के रूप में विकसित हो सके। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा फिल्म नीति के अनुसार फिल्मों को दी जाने वाली प्रोत्साहन/अनुदान की राशि नोएडा फिल्म सिटी में निर्मित फिल्मों पर भी लागू होगी।

(2) प्रदेश में फिल्म विकास हेतु उपलब्ध संभावनाओं का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने के लिए विशेषज्ञ एजेन्सी के माध्यम से एक सम्भाव्यता अध्ययन कराया जाएगा। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र की सहभागिता के माध्यम से फिल्म अवस्थापनाओं हेतु फिल्म नगरी /फिल्म लैबोरेटरी की स्थापना के लिए सम्भावनाओं का मूल्यांकन करना होगा। यह अध्ययन 'फिल्म बन्धु' द्वारा कराया जाएगा तथा इसकी रिपोर्ट के आधार पर एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर उसे क्रियान्वयन हेतु निजी क्षेत्रों को प्रस्तुत किया जायेगा। प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष के लिए भी विस्तृत कार्य योजना बनायी जायेगी।

इस क्रम में पी0पी0पी0 गाइडलाइन का पालन करते हुए नोएडा में 1000 एकड़ भूमि पर आधुनिक फिल्म सिटी का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। उक्त फिल्म सिटी में फिल्म निर्माण, सुरक्षा, प्रशिक्षण आदि से संबंधित समस्त सेवाओं का समावेश किया जायेगा।

8- स्टूडियोज/लैब्स

(1) फ़िल्म निर्माण हेतु स्टूडियोज/लैब्स के खोले जाने पर लागत धनराशि का 25% अथवा रू0 50 लाख का अधिकतम अनुदान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा। फ़िल्म निर्माण हेतु स्टूडियोज / लैब्स यदि पूर्वांचल, विन्ध्यांचल अथवा बुन्देलखण्ड में खोला जाता है तो लागत धनराशि का 35% अथवा रू0 50 लाख का अधिकतम अनुदान राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जा सकेगा।

(2) फ़िल्म स्टूडियो/ लैब को स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का भुगतान, स्टूडियो/ लैब के क्रियाशील होने के 01 वर्ष के अन्दर 40%, द्वितीय वर्ष में 30% तथा तृतीय वर्ष में 30% किया जायेगा। इस सम्बन्ध में निम्न बिन्दु महत्वपूर्ण हैं:-

(क) स्टूडियोज / लैब्स के स्थापना संबंधित समस्त आवश्यक प्रपत्र (मानचित्र, सुरक्षा इत्यादि)।

(ख) स्थापित स्टूडियोज/लैब्स को प्रतिवर्ष कम-से-कम 05 फीचर फिल्में / वेबसीरीज/ वेब फिल्में / राष्ट्रीय प्रसारण का पोस्ट प्रोडक्शन कार्य करना अनिवार्य होगा।

(ग) प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रकार के व्यय का विवरण सी.ए. द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा।

(घ) फ़िल्म स्टूडियोज/लैब्स के संचालन में उपयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर हेतु अनुदान की सीमा के अन्तर्गत अधिकतम भुगतान किया जा सकेगा।

(ड.) प्रसारण/रिलीज़ से संबंधित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(च) ऐसे उपकरण/उपयोग में आने वाले बुनियादी ढांचे से संबंधित सामग्री यदि उत्तर प्रदेश से क्रय किये जाने वाले व्यय को अनुदान में सम्मलित किया जायेगा तो उक्त उपकरणों/ सामग्री का जी.एस.टी. बिल की प्रति उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।

(छ) आवेदन प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, सूचना विभाग द्वारा नामित समिति द्वारा भौतिक निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(ज) उपलब्ध कराये गए समस्त बिल वाउचर का परीक्षण वित्त विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जायेगा।

(झ) अनुदान पर निर्णय फ़िल्म बंधु, उत्तर प्रदेश एवं राज्य फ़िल्म विकास परिषद, उत्तर प्रदेश की संयुक्त बैठक तथा राज्य फिल्म विकास परिषद, उत्तर प्रदेश के अस्तित्व में न होने पर फिल्म बन्धु, उत्तर प्रदेश की बैठक में किया जायेगा तथा अन्तिम निर्णय शासन द्वारा लिया जायेगा।

9- **माल एवं सेवा कर**

प्रदेश में माल और सेवाकर अधिनियम- 2017 के क्रियान्वयन हो जाने के उपरान्त सिनेमा/मल्टीप्लेक्स पर माल और सेवाकर की दरें यथा निर्धारित लागू होगी तथा समय-समय पर माल और सेवाकर अधिनियम-2017 में होने वाले संशोधन फिल्म नीति में प्रभावी माने जायेंगे।

10- **प्रदेश में बन्द पड़े सिनेमाघरों को पुनः संचालित कराने, संचालित सिनेमाघरों का पुनर्निर्माण /रिमॉडलिंग करवाने, मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में मल्टीप्लेक्स खुलवाने, एकल सिनेमाघरों के निर्माण को प्रोत्साहित करने एवं संचालित सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना:-**

प्रदेश में बन्द सिनेमाघरों को पुनः संचालित कराने, संचालित सिनेमाघरों का पुनर्निर्माण /रिमॉडल करवाने, मल्टीप्लेक्स विहीन जनपदों में यथाशीघ्र मल्टीप्लेक्स खुलवाने, एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण हेतु कर एवं निबंधन अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-564/11-6-2017-एम (34)/17 दिनांक 28.07.2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत समेकित प्रोत्साहन योजना प्रभावी होगी।

इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022, औद्योगिक विकास, वित्त, कर एवं निबन्धन, पर्यटन, संस्कृति एवं अन्य संबंधित विभागों की नीतियों में समय-समय पर होने वाले संशोधन भी प्रभावी होंगे।

11- **वैधानिक संशोधन**

फिल्मों के विकास के संबंध में उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति, औद्योगिक विकास, वित्त, वाणिज्य कर, पर्यटन, संस्कृति एवं अन्य संबंधित विभागों

की प्रभावी नीतियाँ एवं उसमें समय-समय पर होने वाली संशोधित नीति भी फिल्म नीति पर लागू होगी।

12- उपकरण

फिल्मों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के विभागों के पास उपलब्ध उपकरणों का भी उपयोग नियमानुसार किया जा सकेगा। सरकार के पास उपलब्ध उपकरण विभागों की नीति के अनुसार उपयोग किये जा सकेंगे।

13- शूटिंग स्थलों का विकास

(1) प्रदेश में उपलब्ध प्रचुर नैसर्गिक सुन्दरता, समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं तथा ऐतिहासिक स्मारकों की पृष्ठभूमि का पर्यटन विभाग निरन्तरता के आधार पर प्रदेश में आउट-डोर शूटिंग के लिए स्थलों का चयन कर उनका विकास करेगा तथा सक्रियता से प्रचार करेगा। इसके लिए ट्रॉन्सपैरेन्सीज, लघु फिल्में, प्रचार-साहित्य जैसे-ब्रोशर्स इत्यादि विकसित किये जायेंगे। प्रदेश की नयी 'पर्यटन नीति' के तहत निजी-क्षेत्र को इस बात के लिए उत्प्रेरित किया जाएगा कि वे इन शूटिंग स्थलों पर होटल्स, मोटल्स, रेस्टोरेन्ट तथा कैम्पिंग सुविधाओं की स्थापना करें।

(2) फिल्म नीति के प्रभावी क्रियान्वयन तथा फिल्म निर्माताओं को नियमानुसार आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में फिल्म प्रमोशन एण्ड फेसिलिटेशन कमेटी का निम्नानुसार गठन किया गया है:-

1. जिलाधिकारी - अध्यक्ष
2. पुलिस आयुक्त/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी - सदस्य
3. अपर जिलाधिकारी (जिलाधिकारी द्वारा नामित) - सदस्य
4. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/पर्यटन अधिकारी - सदस्य
5. राज्य कर विभाग के जनपदीय अधिकारी- एक सदस्य (उपायुक्त/ सहायक आयुक्त / राज्य कर अधिकारी)
6. सूचना विभाग के जनपदीय अधिकारी- संयोजक/ नोडल अधिकारी होंगे।

(3) यह समिति फिल्म निर्माताओं द्वारा फिल्म की शूटिंग के लिए प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर शूटिंग स्थल की अनुमति, फिल्म यूनिट की सुरक्षा व्यवस्था, नियमानुसार भुगतान करने पर शासकीय गेस्ट हाउस/ पर्यटन अतिथि में ठहरने की व्यवस्था तथा शूटिंग के बाद शूटिंग के दिवसों में जिलाधिकारी कार्यालय में प्रदान किये जाने वाले प्रमाण-पत्र के समयबद्ध निर्गमन आदि का अनुश्रवण करेगी तथा जनपद में विभागों के स्तर पर आने वाली कठिनाइयों का त्वरित निराकरण करायेगी। फिल्म शूटिंग से सम्बन्धित आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् फिल्म प्रमोशन एण्ड फेसिलिटेशन कमेटी की बैठक आयोजित कर नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(4) फिल्मों के निर्माण से संबंधित लोगों को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उससे संबंधित अन्य सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाएं सम्मिलित की गयी है:-

1. फिल्म शूटिंग की अनुमति संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा 05 दिवस के भीतर निर्गत करायी जायेगी।

2. शूटिंग की अवधि के दौरान फिल्म यूनिट की सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल संबंधित जिले के जिलाधिकारी/पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक द्वारा 05 दिवस के भीतर उपलब्ध कराया जायेगा।

3. शूटिंग की अवधि में फिल्म यूनिट को रियायती दरों पर राजकीय अतिथि गृह/ निरीक्षण गृह में ठहरने की व्यवस्था संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा 07 दिवस के भीतर करायी जायेगी।

4. शूटिंग पूर्ण होने के उपरान्त प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा 05 दिवस के भीतर उपलब्ध कराया जायेगा।

14- कलाकारों तथा तकनीशियनों का प्रशिक्षण

(1) फिल्म उद्योग के उपयुक्त विकास के लिए नोएडा में विकसित की जा रही आधुनिक फिल्म सिटी में फिल्म निर्माण सहित फिल्म प्रशिक्षण से संबंधित सेवाएं देने का भी प्रयास किया जायेगा। इस क्रम में प्रदेश में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान स्थापित होने एवं उनके क्रियान्वयन पूर्ण होने पर फिल्म उद्योग से जुड़े लोग लाभान्वित होंगे।

(2) भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, पुणे तथा सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान, कोलकाता में उत्तर प्रदेश के प्रशिक्षणरत दस-दस विद्यार्थियों को वार्षिक छात्रवृत्ति रु0 25,000/- दी जायेगी।

15- फिल्म इकाइयों के लिए आवासीय सुविधा

प्रदेश में आउट-डोर शूटिंग करने वाली इकाइयों को उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के होटल्स/मोटल्स में कमरों के किराए में 25% की छूट दी जायेगी। लोक निर्माण विभाग, वन विभाग तथा सिंचाई विभाग एवं राज्य सम्पत्ति विभाग के सरकारी अतिथि गृह / विश्रामालय भी इन 'फिल्म इकाइयों' को नियमित भुगतान पर उपलब्ध होंगे।

16- सरकारी हवाई पट्टियों का प्रयोग

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर स्थित हवाई पट्टियों के प्रयोग की सुविधा आउट-डोर शूटिंग करने वाली फिल्म इकाइयों को निर्धारित किराये के भुगतान पर अनुमन्य करायी जा सकेगी।

17- फिल्म अनुदान

(1) फिल्म तथा फिल्म सम्बन्धी अवस्थापना के विकास की विभिन्न योजनाओं का वित्त पोषण करने के लिए धनराशि, प्रत्येक वर्ष आय-व्ययक में सूचना विभाग की अनुदान संख्या-86 के अधीन प्राविधानित करायी जायेगी तथा उस धनराशि को फिल्मों के अनुदान आदि के संचालन हेतु उ0प्र0 'फिल्म बन्धु' को उपलब्ध कराया जायेगा। बजट से प्राप्त धनराशि का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए किया जायेगा:-

1. हिन्दी/ क्षेत्रीय भाषा के अतिरिक्त उ0प्र0 में शूटिंग की जाने वाली अंग्रेजी व देश की अन्य भाषाओं की फीचर फिल्मों को अनुदान उपलब्ध कराना।
2. फिल्म निर्माण से सम्बन्धित उपकरणों की व्यवस्था।

3. फिल्म स्टूडियो/ फिल्म इंस्टीट्यूट/ फिल्म सिटी आदि की स्थापना पर अनुदान उपलब्ध कराना।
4. फिल्मों के लिए पुरस्कार।
5. फिल्म छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।
6. फिल्म महोत्सवों का आयोजन।
7. फिल्म-गोष्ठियों/ सेमिनार का आयोजन।
8. राष्ट्रीय/ प्रदेश स्तरीय फिल्म महोत्सव के लिए शासन की अनुमति से स्पांसरशिप।
9. फिल्म से सम्बन्धित अन्य सभी कार्य।
10. फिल्म बन्धु की स्थापना तथा उसके रख-रखाव सम्बन्धी व्यय।

(2) फिल्म विकास निधि- सूचना विभाग में उत्तर प्रदेश फिल्म बन्धु के अधीन वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति द्वारा इसका प्रबन्ध किया जायेगा। प्रबन्ध समिति में निम्नलिखित अधिकारी होंगे:-

1. अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव, सूचना विभाग, उ0प्र0 शासन - अध्यक्ष
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी - सदस्य
3. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उ0प्र0 शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी - सदस्य
4. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उ0प्र0 शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी - सदस्य
5. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, संस्कृति विभाग, उ0प्र0 शासन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी - सदस्य
6. निदेशक, सूचना- सदस्य सचिव
7. महानिदेशक, पर्यटन विभाग, उ0प्र0 - सदस्य
8. प्रबन्ध निदेशक, पिकप विभाग, उ0प्र0 - सदस्य
9. राज्य कर आयुक्त, उ0प्र0- सदस्य
10. अपर निदेशक, सूचना अथवा निदेशक, सूचना द्वारा नामित अधिकारी- सदस्य कार्यान्वयन
11. वरिष्ठ वित एवं लेखाधिकारी, सूचना विभाग- कोषाध्यक्ष
12. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक स्तर का अधिकारी- संयुक्त सचिव।

18- वित्तीय प्रोत्साहन

वर्तमान में जी0एस0टी0 प्रणाली लागू की गयी है, जिसके अनुसार राज्य माल और सेवाकर (GST) के प्रतिपूर्ति की कार्यवाही की जायेगी। इस सम्बन्ध में समय - समय पर होने वाले संबंधित विभागों के संशोधित आदेश भी लागू होंगे।

19- क्षेत्रीय फिल्में

(1) प्रदेश में रोजगार सृजन तथा अवस्थापना के विकास में क्षेत्रीय फिल्मों की सफल भूमिका रही है। उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय बोलियों का प्रयोग भारतीय साहित्य में व्यापक रूप से हुआ है।

भोजपुरी, अवधी, बुन्देली तथा ब्रज बोलियाँ बोलने वाले लोग, न केवल देश में बल्कि सम्पूर्ण विश्व में फैले हुए हैं। प्रदेश में निर्मित की गयी भोजपुरी फिल्मों को व्यवसायिक दृष्टि से अत्याधिक सफलता मिल रही है और भारतीय सिनेमा की कुछ सर्वश्रेष्ठ फिल्में इसी भाषा में निर्मित की गयी हैं। अतः क्षेत्रीय फिल्मों के विकास एवं उनकी सफलता की प्रबल संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए क्षेत्रीय फिल्मों को प्रोत्साहित किया जाना है।

(2) राज्य सरकार इन बोलियों तथा संस्कृतियों में अन्तर्निहित शक्ति एवं सम्भावनाओं से पूर्ण रूप से परिचित है। इन क्षेत्रीय भाषाओं में फिल्म निर्माण को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करने से एक सशक्त क्षेत्रीय एवं आँचलिक फिल्म उद्योग का विकास होगा तथा स्थानीय स्तर पर पर्याप्त संख्या में रोजगार के अवसर सृजित होंगे और प्रदेश की स्थानीय संस्कृतियों की छवि आम-जन मानस में प्रक्षेपित होगी। क्षेत्रीय फिल्म उद्योग के विकास से एक ऐसा वातावरण बनेगा, जो उ0प्र0 में हिन्दी फिल्मों के निर्माण को भी आकर्षित करेगा। क्षेत्रीय फिल्म उद्योग फिल्म सम्बन्धी अवस्थापना को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने में भी सहायक होगा, इसके लिये उत्तर प्रदेश में क्षेत्रीय फिल्मों के विकास को प्रोत्साहित किया जायेगा।

20- अनुदान/प्रोत्साहन व्यवस्था

(1) उत्तर प्रदेश में निर्मित अवधी, ब्रज, बुन्देली, भोजपुरी इत्यादि क्षेत्रीय फिल्मों के लिए अनुदान की सीमा लागत का अधिकतम 50 प्रतिशत तथा हिन्दी, अंग्रेजी तथा देश की अन्य भाषाओं में निर्मित फिल्मों के लिए अनुदान की सीमा लागत का अधिकतम 25 प्रतिशत तक होगी।

(2) प्रदेश में निर्मित उपरोक्त बिन्दु-1 में उल्लिखित फिल्में, जिनके कुल शूटिंग दिवसों में से कम से कम आधे दिवसों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की गयी हो, के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा रु0 1.00 करोड़ (रूपये एक करोड़ मात्र) तक होगी।

(3) प्रदेश में निर्मित उपरोक्त बिन्दु-1 में उल्लिखित फिल्में, जिनके कुल शूटिंग दिवसों मे दो तिहाई दिवसों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की गयी हो, के लिए अनुदान की अधिकतम सीमा रु0 2.00 करोड़ (रूपये दो करोड़ मात्र) तक होगी।

(4) उत्तर प्रदेश फिल्म नीति के अन्तर्गत प्रदेश में निर्मित फिल्म को एक बार अनुदान प्राप्त होने के बाद, अग्रेतर फिल्म बनाये जाने पर निम्नलिखित धनराशि अनुदान के रूप में दी जा सकेगी:-

फिल्म का विवरण	प्रदेश में फिल्म की शूटिंग की स्थिति	अनुदान की अधिकतम धनराशि
प्रदेश में द्वितीय फिल्म	फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर	प्रथम फ़िल्म की अनुदान की अधिकतम सीमा को 10% अथवा रू0 1.10 करोड़ तक बढ़ाया जाना।
	फिल्म की कुल शूटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर	प्रथम फ़िल्म की अनुदान की अधिकतम सीमा को 10% अथवा रू0 .2.20 करोड़ तक

		बढ़ाया जाना।
प्रदेश में **तृतीय फिल्म** अथवा उसके उपरान्त	फिल्म की कुल शूटिंग दिवसों में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर	प्रथम फ़िल्म की अनुदान की अधिकतम सीमा को 15% अथवा रू0 1.15 करोड़ तक बढ़ाया जाना।
	फिल्म की कुल शूटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर	प्रथम फ़िल्म की अनुदान की अधिकतम सीमा को 15% अथवा रू0 2.30 करोड़ तक बढ़ाया जाना।

(5) राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त निर्माता/ निर्देशक द्वारा फिल्म नीति के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में निर्मित किये जाने के आधार पर एक बार अनुदान प्राप्त करने के बाद अग्रेतर फिल्में बनाये जाने पर अनुदान धनराशि निम्नवत होगीः-

फिल्म का विवरण	**प्रदेश में फिल्म शूटिंग की स्थिति**	**अनुदान की अधिकतम धनराशि**
प्रदेश में **द्वितीय फिल्म**	फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर	रु0 1.75 करोड़, मात्र
	फिल्म की कुल शूटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर	रु0 2.25 करोड़, मात्र
प्रदेश में **तृतीय फिल्म** अथवा उसके उपरान्त	फिल्म की कुल शूटिंग में से आधे दिवसों की शूटिंग करने पर	रु0 2.25 करोड़, मात्र
	फिल्म की कुल शूटिंग में से दो तिहाई दिवसों की शूटिंग करने पर	रु0 3.25 करोड़, मात्र

(6) यदि किसी फिल्म में 05 मुख्य कलाकार उत्तर प्रदेश के ऐसे स्थायी निवासी जो, सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में निवासित हो, तो अधिकतम धनराशि रू0 25.00 लाख अथवा पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली धनराशि, जो भी कम हो अतिरिक्त अनुदान के रूप में दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त फिल्म में गायक, संगीतकार, गीतकार, लेखक, निर्देशक, कैमरामैन आदि उत्तर प्रदेश के ऐसे स्थायी निवासी जो, सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में निवासित हो, तो कुल अनुदान का 02 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 05.00 लाख, जो भी कम हो अतिरिक्त अनुदान दिया जा सकेगा।

(7) इसी प्रकार यदि किसी फिल्म निर्माता द्वारा प्रदेश में ऐसी फिल्म की शूटिंग/ निर्मित की जाती है, जिसके समस्त कलाकार उत्तर प्रदेश के ऐसे स्थायी निवासी जो, सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में निवासित हो, तो उक्त फिल्म हेतु उन कलाकारों को फिल्म पारिश्रमिक के रूप मे दी

जाने वाली धनराशि या सम्मिलित रूप से अधिकतम धनराशि रु0 50,00,000/- (रुपये पचास लाख मात्र), जो भी कम हो, का अतिरिक्त अनुदान दिया जा सकेगा।

(8) यदि किसी फिल्म निर्माता द्वारा फिल्म शूटिंग के उपरान्त फिल्म की प्रोसेसिंग प्रदेश में ही की जाती है, तो उक्त प्रोसेसिंग पर आने वाली लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम धनराशि रु0 50.00 लाख का अनुदान, जो भी कम हो, अतिरिक्त रूप से स्वीकृत किया जा सकेगा।

(9) फ़िल्म प्रशिक्षण संस्थान-

(क) यदि कोई निवेशक उत्तर प्रदेश में फ़िल्म प्रशिक्षण संस्थान खोलता है, तो लागत धनराशि का 50% अथवा रु0- 50.00 लाख में से जो भी कम हो, का अधिकतम अनुदान, संस्थान चालू होने के पश्चात् निम्नलिखित शर्तों के साथ स्वीकृत किया जा सकेगा-

(i) न्यूनतम निवेश - रु0 50.00 लाख।

(ii) फ़िल्म प्रशिक्षण संस्थान को स्वीकृत की जाने वाली धनराशि का भुगतान, संस्थान के क्रियाशील होने के 01 वर्ष के अन्दर 40%, द्वितीय वर्ष में 30% तथा तृतीय वर्ष में 30% किया जा सकेगा।

(ख) उक्त अनुदान की स्वीकृति हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जायें:-

1. संस्थान में किस प्रकार की शिक्षा, प्रशिक्षण एवं प्राप्त किये जाने वाले शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

2. संस्थान से प्रतिवर्ष कम- से- कम 100 विद्यार्थी उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।

3. विभिन्न पाठ्यक्रमों / प्रशिक्षणों में कितने छात्र / छात्राएं शामिल किये जायेंगे तथा उनके प्रवेश प्रक्रिया का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

4. संस्थान के स्थापना संबंधित समस्त आवश्यक प्रपत्र (मानचित्र, सुरक्षा, इत्यादि)।

5. संस्थान का राज्य/केंद्र के आधीन विश्वविद्यालय / संस्थान से संबद्ध होना अनिवार्य होगा।

6. प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्र के साथ समस्त प्रकार के व्यय का विवरण सी.ए. द्वारा प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा।

7. फ़िल्म संस्थान के संचालन में उपयोग में आने वाले सॉफ्टवेयर के सब्सक्रिप्शन का भी भुगतान किया जा सकेगा।

8. ऐसे उपकरण/उपयोग में आने वाले बुनियादी ढांचे से संबंधित सामग्री यदि उत्तर प्रदेश से क्रय की जाती है, तो आने वाले व्यय को अनुदान में सम्मलित किया जायेगा। उक्त उपकरणों/ सामग्री का जी.एस.टी. बिल की प्रति उपलब्ध करना अनिवार्य होगा।

9. आवेदन प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त शासन से नामित समिति द्वारा भौतिक निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

10. उपलब्ध कराये गए समस्त बिल वाउचर का परीक्षण वित्त विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जायेगा।

11. संस्थान का निर्माण एवं संचालन मानक के अनुरूप कार्य किये जाने के संबंध में निरीक्षण हेतु अध्यक्ष, फिल्म बन्धु द्वारा नामित संस्थान/ विभाग के अधिकारीगण भौतिक निरीक्षण करेंगे तथा रिपोर्ट उपलब्ध करायेंगे।

12. अंतिम निर्णय फ़िल्म बंधु, उत्तर प्रदेश एवं राज्य फ़िल्म विकास परिषद, उत्तर प्रदेश की संयुक्त बैठक तथा राज्य फिल्म विकास परिषद, उत्तर प्रदेश के अस्तित्व में न होने पर फिल्म बन्धु, उत्तर प्रदेश की बैठक में किया जायेगा।

13. यह निर्णय समस्त निर्माताओं के लिये बाध्यकारी होगा।

(10) अनुदान चयन के लिए पटकथा की गुणवत्ता एवं बजट का परीक्षण उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद द्वारा किया जायेगा। पटकथा के परीक्षण के लिए परिषद द्वारा स्क्रिप्ट परीक्षण कमेटी तथा अुनदान से सम्बन्धित बीजकों के परीक्षण के लिए वित्त विशेषज्ञ कमेटी का गठन किया जायेगा। फिल्म विकास परिषद् के अस्तित्व में न होने की दशा में, यह कार्य अध्यक्ष, फिल्म बन्धु द्वारा किया जायेगा।

(11) उपरोक्तानुसार दिये जाने वाले अनुदान का आकलन कोषाध्यक्ष, फिल्म बन्धु तथा विभिन्न विभागों के वित्त एवं लेखा संवर्ग के अधिकारियों की समिति द्वारा किया जायेगा। इस कार्य के लिए आवश्यकतानुसार सनदी लेखाकार (सी0ए0) की सहायता भी ली जा सकेगी। स्क्रिप्ट परीक्षण कमेटी निम्नानुसार होगीः-

1. सूचना निदेशक द्वारा नामित अधिकारी
2. महानिदेशक, पर्यटन विभाग द्वारा नामित अधिकारी
3. निदेशक, हिन्दी संस्थान द्वारा नामित अधिकारी
4. निदेशक, आकाशवाणी द्वारा नामित अधिकारी
5. निदेशक, दूरदर्शन द्वारा नामित अधिकारी
6. निदेशक, संस्कृति द्वारा संगीत नाटक अकादमी का नामित अधिकारी
7. निदेशक, संस्कृति विभाग द्वारा भारतेन्दु नाट्य अकादमी का नामित अधिकारी
8. भाषा विभाग, उ0प्र0 शासन द्वारा नामित अधिकारी
9. फिल्म पटकथा लेखन में ख्याति प्राप्त व्यक्ति (अधिकतम 03)

(12) फ़िल्म निर्माताओं / निर्देशकों द्वारा संबंधित फ़िल्म पर आने वाले व्यय में से जितना व्यय उत्तर प्रदेश में किया गया हो, को अनुदान देने की श्रेणी में सम्मिलित किया जाएगा। फिल्म की लागत के सम्बन्ध में सी0ए0 द्वारा प्रमाणित वास्तविक व्यय के मूल प्रमाण-पत्र के साथ उपरोक्त समस्त प्रकार के व्यय के सम्बन्ध में विस्तृत विवरण एवं तत्सम्बन्धी बीजकों की स्वप्रमाणित मूल प्रति तथा दो सेट छायाप्रतियां प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। फिल्म अनुदान के लिए निर्माता/बैनर द्वारा प्रस्तुत बीजकों के भुगतान में सरकार द्वारा स्थापित वित्तीय नियमों का पालन करने पर ही अनुदान दिया जायेगा। फिल्म प्रोडक्शन पर आने वाले प्रत्येक व्यय के प्रमाणस्वरूप अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने एवं वित्तीय प्रपत्र प्राप्त होने पर ही अनुदान देने की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी।

(13) फिल्म की कुल शूटिंग दिवसों के सम्बन्ध में निर्माता/ निर्देशक द्वारा शपथ-पत्र एवं अन्य सम्बन्धित प्रपत्र दिया जाना आवश्यक होगा, जिसमें उत्तर प्रदेश में की गयी शूटिंग के दिवसों का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

(14) उक्त अनुदान केवल प्रथम प्रिन्ट की सीमा तक के लिए ही दिया जायेगा।

(15) अनुदान, फिल्म का निर्माण करने वाली संस्था को ही दिया जायेगा।

(16) उत्तर प्रदेश की संस्कृति, पर्यटन, ऐतिहासिक धरोहर पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का उत्तर प्रदेश यथासंभव प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा। इस सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया का निर्धारण फिल्म बन्धु उत्तर प्रदेश द्वारा किया जायेगा।

(17) "एक राष्ट्र, श्रेष्ठ राष्ट्र" की भावना के अनुरूप कुल शूटिंग दिवसों में से कम से कम आधे दिवसों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की गयी हो, के अनुसार निर्मित होने वाली हिन्दी, अंग्रेज़ी एवं देश की अन्य भाषाओं (उत्तर प्रदेश की क्षेत्रीय भाषाओं को छोड़कर) की फिल्मों के लिए, अनुदान की सीमा, लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम धनराशि रूपये 50.00 लाख तक में जो न्यूनतम हो, होगी।

(18) ऐसे विदेशी नागरिको (O.C.I.) जिनके पूर्वज भारत के मूल निवासी थे तथा मारिशस / फिजी/ सूरीनाम/ हॉलैण्ड आदि देशों में निवास कर रहे है, के द्वारा भारतीय विषयों पर प्रदेश में निर्मित की जाने वाली फिल्मों के लिए, कुल शूटिंग दिवसों में से कम से कम आधे दिवसों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में की गयी हो, के अनुसार निर्मित होने वाली फिल्मों के लिए, अनुदान की सीमा, लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम धनराशि रूपये 50.00 लाख तक में, जो न्यूनतम हो, होगी। निर्मित फिल्म के लिए भारत के सेंसर बोर्ड द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र तथा फिल्म का प्रदर्शन भारत में होना आवश्यक है। सरकार द्वारा विदेशी फर्मों/व्यक्तियों (O.C.I.) को अनुदान/ प्रतिपूर्ति के भुगतान हेतु फिल्म नीति का अनुपालन आवश्यक होगा।

(19) फिल्म अनुदान के लिए निर्धारित आवेदन-पत्र के साथ फिल्म निर्माता/ फर्म/ संस्था का अद्यतन तीन वर्षों का आयकर जमा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र को उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में विदेश में रहने वाले ऐसे नागरिक (O.C.I.) जिनके पूर्वज भारत के मूल निवासी थे के द्वारा सम्बन्धित देश की नागरिकता प्रमाण-पत्र की स्वप्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये जाने पर आयकर रिटर्न जमा करने सम्बन्धी प्रपत्र, सम्बन्धित देश के कानूनों को ध्यान में रखते हुए, में शिथिलता/ छूट प्रदान की जायेगी। फिल्म निर्माता द्वारा तीन वर्षों का सर्टिफाइड अकाउन्टस/ टर्नओवर प्रस्तुत करना होगा। पत्राचार हेतु सम्बन्धित देश का स्थायी पता तथा भारत में निवास स्थल/ कार्य स्थल का स्थायी/ अस्थायी पता देना आवश्यक है।

21- प्रशासनिक सुविधाएं

(1) फिल्म विकास परिषदः- उत्तर प्रदेश में फिल्म क्षेत्र के दीर्घकालिक तथा अर्थपूर्ण विकास के लिए राज्य स्तरीय फिल्म विकास परिषद की स्थापना की जा चुकी है। फिल्म विकास परिषद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 01 अध्यक्ष एवं 01 उपाध्यक्ष नामित किया जायेगा, जो फिल्म जगत से सम्बन्धित अनुभवी एवं ख्यातिलब्ध व्यक्ति होगा। इस परिषद में अधिकतम 05 सदस्य भी उत्तर प्रदेश शासन द्वारा नामित किये जायेंगे, जो साहित्य, सामाजिक व फिल्म जगत से सम्बन्धित अनुभवी एवं ख्यातिलब्ध व्यक्ति होंगे।

फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों की नियुक्ति तथा इनके वेतन/भत्तों आदि का निर्धारण उ0प्र0 शासन के स्तर से किया जायेगा।

फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम 02 वर्ष का होगा। उ0प्र0 शासन द्वारा 02 वर्ष के अन्दर भी इनकी कार्य अवधि बिना कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

इस परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, यदि बाहर के हैं, तो शासकीय कार्य हेतु उनके आवागमन के संबंध में वायुयान यात्रा/भत्ता एवं निवास आदि हेतु समुचित व्यवस्था की जायेगी, जिसका वहन 'फिल्म विकास निधि' की प्रबन्धक एजेन्सी 'फिल्म बन्धु, उत्तर प्रदेश' द्वारा किया जायेगा।

यह परिषद समय-समय पर उत्तर प्रदेश में फिल्मों के विकास के लिए दीर्घकालिक रणनीतियों पर विचार-विमर्श करेगी, फिल्मों के विकास के लिए आवश्यक अवस्थापना के उच्चीकरण तथा सृजन पर शासन को परामर्श देगी और साथ ही फिल्म क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने हेतु रणनीति तैयार करेगी।

इस परिषद द्वारा 'फिल्म नीति'के क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जायेगा तथा जब भी और जहाँ कहीं किसी सुधार व संशोधन की आवश्यकता होगी तो इसके लिए सुझाव दिया जाएगा।

(2) राज्य फिल्म प्रभाग का गठनः-

उत्तर प्रदेश में बनी लघु/शैक्षिक फिल्मों को सिनेमाघरों में चलाने तथा फिल्म नीति के क्रियान्वयन हेतु सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय के अधीन राज्य फिल्म प्रभाग का गठन किया गया है। यह प्रभाग प्रदेश में फिल्मों, विशेषकर क्षेत्रीय फिल्मों के लिए सुगम, सरल तथा समयबद्ध प्रमाणीकरण सुविधा उपलब्ध करायेगा। राज्य फिल्म प्रभाग में निम्न पदाधिकारी हैः-

1. निदेशक, सूचना उ0प्र0 - अध्यक्ष
2. निदेशक, दूरदर्शन, लखनऊ - सदस्य
3. निदेशक, आकाशवाणी, लखनऊ - सदस्य
4. निदेशक, संस्कृति, उ0प्र0 - सदस्य
5. आयुक्त, राज्य कर, उ0प्र0 सदस्य या उसके प्रतिनिधि जो अपर आयुक्त से नीचे न हो।
6. अपर निदेशक, सूचना उ0प्र0 - सदस्य
7. उप निदेशक, फिल्म, सूचना, उ0प्र0- सदस्य या निदेशक, सूचना द्वारा नामित अधिकारी।

(3) स्वीकृतियों के लिए एकल मेज व्यवस्थाः फिल्म नीति के सफल क्रियान्वयन एवं फिल्म से जुड़े लोगों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से 'एकल मेज प्रणाली' का गठन किया गया है। फिल्म नीति के समस्त क्षेत्रों से सम्बन्धित समस्त विचाराधीन प्रकरणों के क्रियान्वयन की सुविधा विभाग के अधीन 'फिल्म बन्धु' के अन्तर्गत गठित समिति द्वारा उपलब्ध होगी। इसी क्रम में फिल्म बन्धु उत्तर प्रदेश द्वारा सिंगल विण्डो क्लीयरेंस सिस्टम ऑनलाइन पोर्टल क्रियाशील कर दिया गया है। इसके माध्यम से फिल्म निर्माता/ निर्देशक प्रदेश में शूटिंग के लिए ऑनलाइन माध्यम से अनुमति प्राप्त कर सकते है। साथ ही फिल्म अनुदान हेतु आवेदन

भी ऑनलाइन माध्यम से प्राप्त किये जा रहे है। यह ऑनलाइन प्रक्रिया फिल्म बन्धु उ0प्र0 की आधिकारिक वेबसाइट **www.filmbandhuup.gov.in** पर सिंगल विण्डो क्लीयरेंस सिस्टम के नाम से क्रियाशील है। फिल्मों के निर्माण से संबंधित लोगों को निश्चित समय सीमा के भीतर सेवाएं प्रदान करने तथा उससे संबंधित अन्य सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाएं सम्मिलित की गयी हैः-

1. फिल्म शूटिंग की अनुमति संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा 05 दिवस के भीतर निर्गत करायी जायेगी।
2. शूटिंग की अवधि के दौरान फिल्म यूनिट की सुरक्षा हेतु पर्याप्त पुलिस बल संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा 05 दिवस के भीतर उपलब्ध कराया जायेगा।
3. शूटिंग की अवधि में फिल्म यूनिट को रियायती दरों पर राजकीय अतिथि गृह/ निरीक्षण गृह में ठहरने की व्यवस्था संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा 07 दिवस के भीतर करायी जायेगी।
4. शूटिंग पूर्ण होने के उपरान्त प्रमाण पत्र संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा 05 दिवस के भीतर उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) फिल्म निर्माण हेतु सुरक्षा व्यवस्था उत्तर प्रदेश का सम्मानपूर्ण आतिथ्य सर्वविदित रहा है। अनेक भारतीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्में, उत्तर प्रदेश में फिल्मांकित की गयी हैं तथा कानून व्यवस्था की दृष्टि से फिल्मकारों का स्थानीय जनता के साथ सुखद अनुभव रहा है। राज्य अपनी आतिथ्य-सत्कार की परम्पराओं को जारी रखेगा तथा उत्तर प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग के लिए फिल्म निर्माताओं को सामान्य रूप से आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी, किन्तु निर्माताओं को इसके लिए स्थानीय अधिकारियों को न्यूनतम तीन सप्ताह पूर्व सूचित करना होगा, ताकि आवश्यक प्रबन्ध सुनिश्चित किये जा सकें। यह सूचना 'फिल्म बन्धु' के माध्यम से भी दी जा सकती है। फिल्म निर्माण के लिए विशिष्ट सुरक्षा उपलब्ध कराने हेतु पुलिस विभाग के अधीन एक **'फिल्म शूटिंग विंग'** की स्थापना की जायेगी। इस विंग के अन्तर्गत उपयुक्त संख्या में आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था की जायेगी, ताकि फिल्म शूटिंग के समय फिल्म निर्माताओं की मांग पर उनकी मांग के अनुसार आवश्यक पुलिस बल उपलब्ध कराया जा सके। यह अतिरिक्त विशिष्ट पुलिस बल फिल्म निर्माताओं को निर्धारित दर पर भुगतान किये जाने पर उपलब्ध कराये जायेंगे।

22- फिल्मों का प्रचार-प्रसार

(1) यह सर्वमान्य सत्य है कि फिल्म उद्योग पूर्ण रूप से जन-समर्थन पर आश्रित है। एक बड़ी जनसंख्या वाला उत्तर प्रदेश फिल्मों के लिए एक श्रेष्ठ जनाधार प्रस्तुत करता है। राज्य द्वारा जनसाधारण में फिल्मों को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रयास किये जायेंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगो को ध्यान मनोरंजन के इस शिक्षाप्रद स्रोत की ओर आकर्षित किया जा सके। निम्नलिखित विधियों से इस लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की जायेगीः-

(क) फिल्मोत्सव का आयोजन।

(ख) पुरस्कारों का वितरण।

(ग) फिल्म सोसाइटीज को समर्थन।

(2) फिल्मोत्सवः राज्य द्वारा वर्ष में एक बार फिल्मोत्सव का आयोजन किया जायेगा। इन उत्सवों का उद्देश्य उच्च श्रेणी की राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय फिल्मों को जन-साधारण की आसान पहुँच में लाना है। ऐसा माना जाता है कि इससे स्वस्थ सिनेमा संस्कृति का विकास होगा तथा राज्य में फिल्म उद्योग के लिए एक व्यापक आधार तैयार होगा। इस उद्देश्य से राज्य, राष्ट्रीय फिल्मोत्सव निदेशालय से एक समझौता करेगा। उत्सव का आयोजन उद्योग, सूचना पर्यटन, मनोरंजन-कर तथा संस्कृति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा। फिल्मोत्सव का आयोजन फिल्म बन्धु द्वारा किया जायेगा तथा इसका पर्यवेक्षण 'फिल्म बन्धु' द्वारा किया जायेगा। इस अवसर को विशिष्ट पर्यटकीय अवसर के रूप में विकसित किया जायेगा।

(3) पुरस्कार

1. राज्य सरकार द्वारा उच्च स्तरीय फिल्मों के निर्माण से जुड़े व्यक्तियों को सम्मानित करने के लिए वार्षिक फिल्म पुरस्कार की स्थापना की जायेगी। फिल्म पुरस्कार हेतु दिनांक 01 जनवरी से 31 दिसम्बर के बीच प्रदेश में निर्मित फिल्मों पर विचार किया जायेगा।

2. फिल्मों का चयन उ0प्र0 फिल्म विकास परिषद तथा फिल्म बन्धु द्वारा किया जायेगा। उनके सम्मान में निर्माता / निर्देशक/ लेखक/कलाकार को पृथक-पृथक रु0 50-50 हजार रूपये तथा कुल अधिकतम धनराशि रू0 2,50,000/- (रूपये दो लाख पचास हजार मात्र) प्रदान की जायेगी। इन पुरस्कारों तथा इसके वितरण समारोह का आयोजन एवं वित्त पोषण 'फिल्म बन्धु' द्वारा किया जायेगा।

3. फिल्म अनुदान ऐसी फिल्मों को कदापि नहीं दिया जायेगा, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य का किसी भी स्तर से गलत चित्रण किया गया हो अथवा छवि धूमिल की गयी हो। इसका परीक्षण स्क्रिप्ट कमेटी द्वारा स्क्रिप्ट-स्तर पर ही सुनिश्चित किया जाएगा। इस हेतु अनुदान की स्वीकृति से पूर्व फिल्म का प्रीव्यू स्क्रिप्ट कमेटी द्वारा किया जायेगा तथा उनके द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार ही अनुदान देने की कार्यवाही भी की जायेगी।

23- वेब सीरीज /वेब फिल्म्स / ओ.टी.टी. के संबंध में।

(1) वेब सीरीज का निर्माण-यदि कुल शूटिंग दिवस में से दो-तिहाई दिवसों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में हुई है, तो प्रति एपिसोड रु0 10.00 लाख अथवा कुल लागत का 50%, जो भी कम हो, अधिकतम 01.00 करोड़ का अनुदान दिए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

(2) वेब फ़िल्म का निर्माण- यदि कुल शूटिंग दिवस में से दो-तिहाई दिवसों की शूटिंग उत्तर प्रदेश में हुई है, तो रु0 01.00 करोड़ अथवा कुल लागत का 25%, जो भी कम हो, का अनुदान दिए जाने की कार्यवाही की जाएगी।

(3) वेब फिल्म में 05 मुख्य कलाकार उत्तर प्रदेश के ऐसे स्थायी निवासी जो, सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में निवासित हो, तो रू0 25.00 लाख अथवा पारिश्रमिक के रूप में दी जाने वाली धनराशि जो भी कम हो अनुदान दिया जायेगा। इसके अतिरिक्त वेब फिल्म में गायक, संगीतकार, गीतकार, लेखक, निर्देशक, कैमरामैन यदि उत्तर प्रदेश के ऐसे स्थायी निवासी जो, सामान्य रूप से उत्तर प्रदेश में निवासित हो, तो कुल अनुदान का 02 प्रतिशत अथवा 05 लाख जो भी कम हो दिया जा सकेगा।

महत्वपूर्ण बिंदु:-

(क) वेब सीरीज/वेब फिल्म्स को स्क्रिप्ट परीक्षण कमेटी के सामने प्रस्तुत किया जायेगा। स्क्रिप्ट कमेटी की तरह ओ0टी0टी0 पर प्रसारित की गयी वेब सीरीज/वेब फिल्म के लिए भी प्रीव्यू समिति बनायी जायेगी।

(ख) यह समिति वेब सीरीज/वेब फिल्म का प्रीव्यू करने के उपरान्त प्रमाण-पत्र/रिपोर्ट उपलब्ध करायेगी। प्रीव्यू समिति द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण-पत्र /रिपोर्ट के अनुसार अनुदान से संबंधित अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

24- उक्त फिल्म नीति के अनुसार फीचर फिल्म/वेबसीरीज/वेब फिल्म, फिल्म स्टूडियो एवं फिल्म प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए आवेदन-पत्र का प्रारूप क्रमशः संलग्नक-1 (कुल 05 पेज), संलग्नक-2 (कुल 02 पेज) एवं संलग्नक-3 (कुल 03 पेज) के रूप में संलग्न हैं, जिसे सूचना विभाग की वेबसाइट https://filmbandhuup.gov.in से डाउनलोड किया जा सकेगा।

कृपया उत्तर प्रदेश में फिल्म निवेशकों के प्रोत्साहन हेतु फिल्म नीति-2023 को प्रभावी रूप से तत्काल लागू किये जाने के सम्बन्ध में उपरोक्त प्रस्तरों में दी गयी व्यवस्थानुसार आवश्यक कार्यवाही शीघ्र सुनिश्चित की जाए।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(संजय प्रसाद)
प्रमुख सचिव

संख्या-04/2023/136(1)/उन्नीस-2-2023-22/2013 टी0सी0 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वरिष्ठ स्टॉफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।
4. निजी सचिव, समस्त मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
7. समस्त जनपद के अपर जिला सूचना अधिकारी/जिला सूचना अधिकारी/ उप निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग। (द्वारा निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग।)
8. गोपन अनुभाग-1।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अजित प्रताप सिंह)
अनु सचिव

संलग्नक-1

फिल्म नीति के अनुसार फीचर फिल्म/ वेब सीरीज/ वेब फिल्म हेतु अनुदान प्राप्त करने के लिए प्रार्थना-पत्र का प्रारूप

सेवा में,

अध्यक्ष,
फिल्म बन्धु, उ0प्र0
पं0 दीन दयाल उपाध्याय सूचना परिसर,
16 पार्क रोड, हजरतगंज,
लखनऊ, उत्तर प्रदेश-226001

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा निर्मित फीचर फिल्म/ वेबसीरीज/ वेब फिल्म...जिसकी...................................प्रतिशत शूटिंग उत्तर प्रदेश में की जायेगी/गयी है और फिल्म की कुल लागत रूपये..................................(शब्दों में)........................... सम्भावित होगा/है, के, लिए नियमानुसार सब्सिडी स्वीकार/स्वीकृत करने का कष्ट करें।

फिल्म से सम्बन्धित विस्तृत निम्नवत् हैः-

1. निर्माता का नाम.............................
2. पिता का नाम...............................
3. आवास/घर का पूरा पता....................
4. ऑफिस का पूरा पता.................. मो0नं0........ई0 मेल...............................
5. फिल्म का नाम/टाइटिल...................

(इम्पा/विफ्पा/प्रोडयूसर गिल्ड ऑफ इण्डिया/ आई0एफ0टी0पी0सी0 आदि से पंजीकृत प्रमाण-पत्र संलग्न है)

6. बैनर का नाम.............................
7. फीचर फिल्म/वेबसीरीज/वेब फिल्म की भाषा...
8. फिल्म का प्रकार............................
9. फीचर फिल्म/वेबसीरीज/वेब फिल्म की पटकथा ....
10. फीचर फिल्म/वेबसीरीज/वेब फिल्म का कथासार (संवाद सहित)...................

निर्देशक का नाम एवं बायोडाटा संलग्न........

11. निर्माता का नाम एवं बायोडाटा संलग्न ....
12. कहानीकार/स्क्रिप्ट राइटर का नाम बायोडाटा संलग्न..................................
13. संगीतकार का नाम एवं बायोडाटा संलग्न...

14. गीतकार का नाम एवं बायोडाटा संलग्न ....

15. गायक का नाम एवं बायोडाटा संलग्न ....

16. कैमरामैन का नाम एवं बायोडाटा संलग्न ....

17. मुख्य अभिनेता/अभिनेत्री का नाम एवं उसका पूर्व अनुभव (बायोडाटा ....संलग्न-जन्म स्थान लिखना अनिवार्य है)

18. क्या प्रार्थी राष्ट्रीय/अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त निर्माता / निर्देशक है ? हाँ/नहीं (√करें) यदि हाँ तो विवरण/साक्ष्य (स्वप्रमाणित) संलग्न करें।

19. (क) कुल कलाकारों की संख्या तथा नाम.. (ख) उ0प्र0 के कलाकारों की संख्या, नाम, आवासीय पता................................

(ख) मुख्य कलाकारों का नाम जिन्होने फिल्म में अहम किरदार निभाया हो...............(विवरण संलग्न करें)

20. प्रोडक्शन का विवरण

(क) फीचर फिल्म/वेबसीरीज/वेब फिल्म अवधि/ एपिसोड...................................

घण्टा............................ मिनट.............................

(ख) उत्तर प्रदेश में फिल्मांकन का विवरण

अवधि............................ (दिन)............................ मिनट.............................

(ग) शूटिंग शिफ्ट्स का विवरण (उत्तर प्रदेश में) कुल.....................................

इनडोर.............................. आउट डोर...

(घ) शूटिंग लोकेशन (तिथि, जनपद सहित)

1. ....

2. ....

3. ....

4. ....

(च) फिल्मांकन की प्रथम तिथि..............

(छ) फिल्मांकन की अन्तिम तिथि............

(ज) यूनिट के सदस्यों की संख्या............

(झ) तकनीकी स्टाफ की संख्या................

(थ) प्रदर्शन की सम्भावित तिथि.............

(द) प्रोडक्शन के दौरान प्रचार................

कार्यक्रमों का विवरण बजट समीक्षा (धनराशि रूपये में)

(क) निर्माता..

(ख) निर्देशक..

(ग) कहानी, पटकथा एवं संवाद..............

(घ) उत्तर प्रदेश के कलाकार.................

(च) तकनीकी यूनिट/प्रोडक्शन यूनिट का वेतन......

(छ) गीत/संगीत रिकार्डिंग एवं मिक्सिंग चार्जेस.....

(ज) कोरियोग्राफी.................................. फाइटिंग..

(झ) डिजिटल फार्मेट में फिल्म निर्माण करने पर

1. रॉ-स्टाक/हार्डडिस्क पर कुल व्यय.........

2. पोस्ट प्रोडक्शन चार्जेस (एडटिंग, साउन्ड वर्क, रि-रिकार्डिंग, विजुएल इफेक्ट्स/ एनीमेशन, डी0आई0/कलर गेडिंग आदि तकनीकी कार्य)...........................

(त) लोकेशन का किराया/स्टूडियो का किराया.......

(थ) उत्तर प्रदेश के उपकरणों पर व्यय.....................

(द) प्रदेश में स्थानीय यात्रा एवं माल भाड़ा व्यय......

(ध) प्रदेश के होटल में ठहरने पर व्यय.......................

(न) सेट्स, डिजाइनिंग, सुपरविजन............

(निर्माण, माडल्स एवं विशेष प्रॉपर्टीज)

(प) कॉस्ट्यूम, मेकअप, मैटीरियल एवं ज्वैलरी पर व्यय...................................

(फ) प्रचार-प्रसार पर व्यय प्रिन्ट मीडिया....................

इलेक्ट्रानिक मीडिया..................................

(ब) आकस्मिक व्यय............................

(भ) फिल्म निर्माण पर अनुमानित/वास्तविक कुल लागत वित्त पोषण का स्रोत....................

स्वंय.....................

ऋण..

अन्य...

फिल्म बन्धु प्रोसेसिंग फीस का ऑनलाईन विवरण

1. चालान का प्रकार..........................

2. राशि....................................

3. चालान की स्थिति......................

4. चालान संख्या...............................

5. लेन-देन संख्या...........................

6. भुगतान की तिथि......................

आवेदक का नाम

दिनांक................

आवेदक का हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

मैं...मेसर्स...
..........................पुत्र/पुत्री...
.... शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि प्रार्थना-पत्र में दिये गये सभी तथ्य एवं विवरण मेरी जानकारी व विश्वास में सही है। इनमें से य दि कोई तथ्य एवं विवरण गलत पाये जाते हैं तो अनुदान के रूप स्वीकार/स्वीकृत की गई समस्त धनराशि मय ब्याज राजस्व वसूली की भाँति मुझसे वसूल किये जाने तथा नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु "फिल्म बन्धु" पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।

02. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस फिल्म का निर्माण फिल्म नीति के अनुसार मूल रूप से उत्तर प्रदेश में शूटिंग करके किया जाना है/किया गया है। इसे डबिंग करके तैयार नहीं किया जाना है/किया गया है।

03. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि उत्तर प्रदेश में होने वाले व्यय पर ही दिया जाये।

04. मैं यह घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे ज्ञात है कि उक्त अनुदान केवल प्रथम प्रिंट की सीमा तक के लिए ही दिया जायेगा।

05. मैं सशपथ यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरी फिल्म पर अनुदान के सम्बन्ध में उसका परीक्षण फिल्म बन्धु द्वारा किया जायेगा और इस सम्बन्ध में फिल्म बन्धु एवं राज्य सरकार की फिल्म नीति सम्बन्धी नियमों, निर्देशों व उद्देश्यों का पालन किया गया है अथवा नही, के आधार पर अनुदान दिये जाने/न दिये जाने का निर्णय फिल्म बन्धु द्वारा लिया जायेगा। अनुदान के लिए फिल्म बन्धु द्वारा लिये गये निर्णय पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी एवं इस बिन्दु पर फ़िल्म बन्धु का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा, जिस सम्बन्ध में मेरे द्वारा किसी अन्य फोरम पर कोई वाद-विवाद योजित नहीं किया जायेगा।

आवेदक का नाम

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

<u>नियम एवं शर्तें</u>

1. प्रार्थना-पत्र ऑनलाईन माध्यम से https://filmbandhuup.gov.in पर ही प्राप्त किया जायेगा।
2. फीचर फिल्म/वेबसीरीज/वेब फिल्म का प्रस्ताव केवल निर्माता द्वारा ही प्रस्तुत किया जाये।
3. फीचर फिल्म/वेबसीरीज/वेब फिल्म का प्रस्ताव शूटिंग होने के 01 वर्ष के अन्दर अथवा शूटिंग के पहले प्रस्तुत करना होगा।
4. फीचर फिल्म रिलीज होने के 01 वर्ष के अन्दर वित्तीय अनुदान हेतु समस्त प्रपत्रो सहित आवेदन करना आवश्यक होगा।

5. फीचर फिल्म/वेबसीरीज/वेब फिल्म का कथासार (03 पृष्ठ से अधिक नहीं होना चाहिए) अपलोड करना होगा।

6. पटकथा (संवाद साहित) अपलोड करना होगा।

7. पटकथा, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन, मुम्बई (S.W.A) से पंजीकृत हो।

8. कुल बजट लागत चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा प्रमाणित हो (यू0डी0आई0एन0 सहित)।

9. फिल्म/वेब फिल्म/वेब सीरीज के निर्माता/ फर्म का अद्यतन तीन वर्षो का आयकर जमा सम्बन्धी प्रमाण-पत्र।

10. प्रोसेसिंग फीस रूपये 25,000/- (गैर वापसी) ऑनलाईन माध्यम से भुगतान करना होगा।

11. फीचर फिल्म/वेबसीरीज/वेब फिल्म का कथासार (अधिकतम 03 पृष्ठ में) संलग्न करना अनिवार्य होगा।

12. फीचर फ़िल्म/वेबसीरीज/वेब फिल्म का कथावस्तु उद्देश्य, संदेश, सामाजिक उपयोगिता तथा उ0प्र0 के संस्कृति एवं पर्यटन के संदर्भ में स्पष्ट विवरण दिया जाना आवश्यक है।

13. फिल्म नीति उ0प्र0 के मानक पूर्ण होने पर एवं फीचर फिल्म का सेंसर बोर्ड द्वारा प्रमाण-पत्र दिये जाने के बाद अनुदान का 30% भुगतान किया जायेगा। अनुदान की अवशेष धनराशि का भुगतान फिल्म रिलीज होने के बाद ही किया जायेगा।

14. वेबसीरीज/वेब फिल्म का भुगतान फिल्म नीति, उत्तर प्रदेश के मानक पूर्ण होने पर भुगतान किया जायेगा।

15. फिल्म का टाइटिल 'इम्पा' (इण्डियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन) अथवा 'विफ्पा'(वेस्टर्न इण्डिया फिल्म प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन), आई0एफ0टी0पी0 सी0 (इण्डियन फिल्म एण्ड टी0वी0 प्रोड्यूसर्स काउंसिल), प्रोड्यूसर्स गिल्ड ऑफ इण्डिया आदि अधिकृत संस्थाओं में पंजीकृत होना चाहिए।

16. उत्तर प्रदेश में किये गये फिल्मांकन का सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय/ पुलिस आयुक्त कार्यालय द्वारा प्रदान किये जाने वाला प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

17. अध्यक्ष फिल्म बन्धु, द्वारा गठित स्क्रिप्ट कमेटी/ प्रीव्यू कमेटी तथा वित विशेषज्ञ समिति की संस्तुति के उपरान्त ही अनुदान देने की कार्यवाही की जायेगी।

18. फिल्म की निर्माण लागत दो करोड़ रूपये से अधिक होने पर कम-से-कम 08 जनपदों के 16 सिनेमाघरों में तथा फिल्म की निर्माण लागत दो करोड़ से कम होने पर कम से कम 03 जनपदों के 06 सिनेमाघरों पर प्रदर्शन अनिवार्य होगा।

संलग्नक-2

फिल्म स्टूडियो स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

अध्यक्ष,
फिल्म बन्धु, उ0प्र0,
दीन दयाल उपाध्याय सूचना परिसर,
16 पार्क रोड,
लखनऊ - 226001

महोदय,

निवेदन है कि मेरे द्वारा स्थापित किये जाने वाले फ़िल्म स्टूडियो (नाम).....................जो उत्तर प्रदेश के जनपद.........................में जिसकी कुल लागत रूपये...(शब्दों में)................................ सम्भावित है, के लिए नियमानुसार सब्सिडी स्वीकार/स्वीकृत करने का कष्ट करें।

फ़िल्म स्टूडियो से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् हैः-

1. आवेदक का नाम....................
2. आवेदक के पिता का नाम...............
3. आवेदक का आवासीय पता...............
4. कार्यालय का पता.........................राज्य.......................जनपद.............पिन कोड...................मोबाइल/व्हाट्सएप नं०.........................ईमेल आई.डी...........
5. स्टूडियो का विवरणः

स्टूडियों का नाम.................................
स्टूडियों की स्थिति (प्रोपराइटर/पार्टनरशिप/ ट्रस्ट/सोसाईटी).....................................
पता..
राज्य.................................जनपद......................पिन कोड.......................

6. सी0ए0 द्वारा प्रमाणित कुल लागत/बजट (यू0डी0आई0एन0 सहित संलग्न करें)...................
7. स्टूडियो में दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण..

फ़िल्म एडिटिंग..................................
फोटो एडिटिंग ....
वी.एफ.एक्स..
रिकॉर्डिंग..
डबिंग..
डी.आई. (डिजिटल इंटरमीडिएट) ....
अन्य ....

8. बजट समीक्षा

भूमि..

स्टूडियो निर्माण पर व्यय......................

हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर................................

अन्य व्यय......................................

9. स्टूडियो के निर्माण पर अनुमानित/ वास्तविक कुल लागत वित्त पोषण का स्रोत

स्वंय..

ऋण..

अन्य..

आवेदक का नाम

दिनांक......................

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

1.मैं..मेसर्स..

पुत्र/पुत्री.. शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि प्रार्थना-पत्र में दिये गये सभी तथ्य एवं विवरण मेरी जानकारी व विश्वास में सही है। इनमें से यदि कोई तथ्य एवं विवरण गलत पाये जाते हैं तो अनुदान के रूप स्वीकार/स्वीकृत की गई समस्त धनराशि मय ब्याज राजस्व वसूली भॉति मुझसे वसूल किये जाने तथा नियमानुसार विधिककार्यवाही करने हेतु "फिल्म बन्धु" पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।

2. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे निर्माण हो चुके फिल्म स्टूडियों पर अनुदान नहीं दिया जायेगा।

3. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस स्टूडियों का निर्माण फिल्म नीति के अनुसार मूल रूप से उत्तर प्रदेश में स्टूडियों का निर्माण किया जाना है।

4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि फिल्म स्टूडियों का निर्माण उत्तर प्रदेश (नोएडा/ग्रेटर नोएडा को छोड़कर) में होने पर उत्तर प्रदेश में होने वाले व्यय पर ही दिया जाये।

5. मैं सशपथ यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे स्टूडियों पर अनुदान के सम्बन्ध में उसका परीक्षण फिल्म बन्धु द्वारा किया जायेगा और इस सम्बन्ध में फिल्म बन्धु एवं राज्य सरकार की फिल्म नीति सम्बन्धी नियमों, निर्देशों व उद्देश्यों का पालन किया गया है अथवा नही, के आधार पर अनुदान दिये जाने/न दिये जाने का निर्णय फिल्म बन्धु द्वारा लिया जायेगा। अनुदान के लिए फिल्म बन्धु, उत्तर प्रदेश द्वारा लिये गये निर्णय पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी एवं इस बिन्दु पर फिल्म बन्धु का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा, जिस सम्बन्ध में मेरे द्वारा किसी अन्य फोरम पर कोई वाद-विवाद योजित नहीं किया जायेगा।

स्थान-

आवेदक का नाम

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर

संलग्नक-3

फ़िल्म प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

अध्यक्ष,
फिल्म बन्धु, उ0प्र0
दीन दयाल उपाध्याय सूचना
परिसर,16 पार्क रोड,लखनऊ -
226001

महोदय,

निवेदन है कि मेरे द्वारा स्थापित किये जाने वाले फ़िल्म प्रशिक्षण संस्थान (नाम)................जो उत्तर प्रदेश के जनपद.......................................में निर्मित किया जायेगा, जिसकी कुल लागत रूपये..........................(शब्दों में) ....सम्भावित है, के लिए नियमानुसार सब्सिडी स्वीकार/स्वीकृत करने का कष्ट करें।फ़िल्म प्रशिक्षण संस्थान से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् हैः-

1. आवेदक का नाम.....................
2. आवेदक के पिता का नाम...................
3. आवेदक का आवासीय पता...............
4. कार्यालय का पता........................

राज्य............जनपद............पिन कोड...................मोबाइल/व्हाट्सएप नं०....................ईमेल आई.डी...........

5. फ़िल्म प्रशिक्षण संस्थान का विवरणः-

फ़िल्म प्रशिक्षण संस्थान का नाम............
सस्थान की स्थिति (प्रोपराइटर/ पार्टनरशिप/ ट्रस्ट/सोसाइटी).........
पता...
फिल्म प्रशिक्षण संस्थान का क्षेत्रफल ....
राज्य............................जनपद...................... पिन कोड..........................

6. सी0ए0 द्वारा प्रमाणित कुल लागत/बजट (यू0डी0आई0एन सहित संलग्न करें)..
7. फ़िल्म प्रशिक्षण संस्थान में दी जाने वाली सुविधाओं का विवरण...................

- विभिन्न पाठ्यक्रमों / प्रशिक्षणों का विवरण (जिसमें छात्र/छात्रायें शामिल किये जायेंगे)...
- विभिन्न पाठ्यक्रमों/प्रशिक्षणों में प्रवेश प्रक्रिया का विवरण ....

- संस्थान का राज्य/केन्द्र के अधीन विश्वविद्यालय/संस्थान से संबद्धता का विवरण...
- प्राप्त शुल्क का विवरण...............
- संस्थान के स्थापना संबंधित समस्त आवश्यक प्रपत्र (मानचित्र, सुरक्षा, इत्यादि) का विवरण ....अन्य ....

8. बजट समीक्षा

भूमि...

फ़िल्म प्रशिक्षण संस्थानके निर्माण पर व्यय..

हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर...................................

अन्य व्यय..............................

9. फ़िल्म प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण पर अनुमानित/वास्तविक कुल लागत वित्त पोषण का स्रोत

स्वंय...

ऋण...

अन्य...

आवेदक का नाम

दिनांक.........................

आवेदक के हस्ताक्षर

घोषणा-पत्र

1. मैं...मेसर्स...पुत्र/पुत्री.. शपथपूर्वक यह घोषणा करता/करती हूँ कि प्रार्थना-पत्र में दिये गये सभी तथ्य एवं विवरण मेरी जानकारी व विश्वास में सही है। इनमें से यदि कोई तथ्य एवं विवरण गलत पाये जाते हैं तो अनुदान के रूप स्वीकार/स्वीकृत की गई समस्त धनराशि मय ब्याज राजस्व वसूली भाँति मुझसे वसूल किये जाने तथा नियमानुसार विधिक कार्यवाही करने हेतु "फिल्म बन्धु" पूर्ण रूप से स्वतंत्र होगा।

2. मै यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि मुझे निर्माण हो चुके फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पर अनुदान नहीं दिया जायेगा।

3. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि इस स्टूडियों का निर्माण फिल्म नीति के अनुसार मूल रूप से उत्तर प्रदेश में फिल्म प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण किया जाना है।

4. मैं यह भी घोषणा करता/करती हूँ कि फिल्म प्रशिक्षण संस्थान का निर्माण उत्तर प्रदेश में होने पर एवं उत्तर प्रदेश में होने वाले व्यय पर ही दिया जाये।

5. मैं सशपथ यह घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे फिल्म प्रशिक्षण संस्थान पर अनुदान के सम्बन्ध में उसका परीक्षण फिल्म बन्धु द्वारा किया जायेगा और इस सम्बन्ध में फिल्म बन्धु

एवं राज्य सरकार की फिल्म नीति सम्बन्धी नियमों, निर्देशों व उद्देश्यों का पालन किया गया है अथवा नही, के आधार पर अनुदान दिये जाने/न दिये जाने का निर्णय फिल्म बन्धु द्वारा लिया जायेगा। अनुदान के लिए फिल्म बन्धु, उत्तर प्रदेश द्वारा लिये गये निर्णय पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी एवं इस बिन्दु पर फिल्म बन्धु का निर्णय अन्तिम व मान्य होगा, जिस सम्बन्ध में मेरे द्वारा किसी अन्य फोरम पर कोई वाद-विवाद योजित नहीं किया जायेगा।

स्थान-

आवेदक का नाम

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर